न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ़ जिला सीकर

बइजलास अशोक कुमार, आर.ए.एस

प्रकरण संख्या 27 / 2021 / दावा 136 एलआरएक्ट

1 गोपाल पुत्र गोविन्दराम जाति अहीर निवासी रानौली तहसील दांतारामगढ़ जिला सीकर (राज0)।

2 प्रभूदयाल पुत्र बल्लूराम जाति अहीर निवासी रानौली तहसील दांतारामगढ़ जिला सीकर (राज0)।

– प्रार्थीगण

ब नाम

1 लूण कंवर पत्नि रिछपाल सिंह (फौत)

2 दूल सिंह

3 विजय सिंह } पुत्रगण रिछपाल सिंह

4 गजराज सिंह

5 मंजू कंवर पुत्री रिछपाल सिंह

समस्त जाति राजपूत निवासीगण रानौली तहसील दांतारामगढ जिला सीकर (राज0)।

6 तहसीलदार, तहसील दांतारामगढ़ जिला सीकर (राज0)।

– अप्रार्थीगण

आवेदन अन्तर्गत धारा 136 एलआर एक्ट

उपस्थिति–

1. श्री शिवपाल सिंह वकील वादी की ओर सें।

नि र्ण य **दिनांक – 26.07.2021**

1 वादपत्र के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार से है कि वादग्रस्त कृषि भूमि खसरा नम्बर 1344, 1346 ता 1351, 1353 ता 1358 कुल किता 13 कुल रकबा 6.0800 है0 ग्राम राणौली पटवार हल्का राणौली तहसील दांतारामगढ जिला सीकर में अवस्थित है। उपरोक्त भूमियों मे से रकबा 0.217 हैक्टेयर सडक में चली जाने के पश्चात् उपरोक्त भूमियों के खसरा नम्बर 1351, 1353 ता 1358, 1701 / 1344, 1703 / 1350 कुल किता 9 कुल रकबा 5.2310 हैक्टेयर तथा कृषि भूमिया खसरा नम्बर 1705 / 1346, 1707 / 1347, 1709 / 1348, 1711 / 1349 कुल किता 4 कुल रकबा 0.6320 हैक्टेयर वाके ग्राम रानौली पटवार हल्का रानौली तहसील दांतारामगढ जिला सीकर के तन में अवस्थित रही है। उपरोक्त भूमियों में से इनके खातेदार रिछपालसिंह, सुगनसिंह जाति राजपूत ने अपना सम्पूर्ण हिस्सा 1 / 24 प्रेहलादराम पुत्र बृजमोहन जाति पुरोहित, भंवरसिंह पुत्र उम्मेदसिंह जाति राजपूत सा0 पलसाना, अमरचन्द पुत्र मोहनलाल जाति पारीक

उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ़

निवासी चिराणा तहसील उदयपुर वाटी को बेचान कर कब्जा वास्तविक एवं व्यवहारिक संभला दिया। जिसके आधार पर जरिये नामान्तकरण संख्या 861 से खातेदारी खरीददारों के नाम दर्ज हो गयी। परन्तु इसके पश्चात् भी रिछपालसिंह पुत्र सुगनसिंह जाति राजपूत के हिस्सा 1/24 की खातेदारी गलत रूप से चलती रही। इसके पश्चात् रिछपालसिंह के फौत होने पर विरासत के आधार पर अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 5 के नाम गलत रूप से राजस्व रिकार्ड में दर्ज चली आ रही है जबकि विक्रय-पत्र दिनांक 15.06.1988 के आधार पर रिछपालसिंह पुत्र सुगनसिंह के हिस्से 1/24 की खातेदारी में खरीददार खातेदारों के नाम नामान्तकरण संख्या 861 के आधार पर दर्ज हो जाने के पश्चात् विक्रेता रिछपालसिंह पुत्र सुगनसिंह का हिस्सा 1/24 राजंस्व रिकार्ड से हजफ होना चाहिए था अर्थात् राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी सम्वत 2051 में अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 5 के पूर्व रिछपालसिंह पुत्र सुगनसिंह हिस्सा 1/24 का नाम राजस्व रिकार्ड में गलत रूप से अंकित होकर चलता रहा। रिछपालसिंह के फौत हो जाने के पश्चात् इनके वारिसान अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 5 का नाम खातेदारी में गलत रूप से चला आ रहा है। वर्ततान राजस्व रिकार्ड में रिछपालसिंह के वारिसान की जाति राजपूत के स्थान पर गलत रूप से जाति जाट दर्ज कर दी जो दुरूस्त किये जाने योग्य है तथा अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 5 का नाम राजस्व रिकार्ड से हजफ फरमाया जाकर पूर्व राजस्व रिकार्ड के अनुसार खातेदारी हिस्सेदारी दुरूस्त किये जाने के आदेश प्रदान किया ज़ाना उचित, आवश्यक और न्याय संगत है। कृषि भूमिया ग्राम रानौली पटवार हल्का रानौली तहसील दांतारामगढ जिला सीकर में अवस्थित होने से माननीय़ न्यायालय को आवेदन सुनवाई का समुचित क्षेत्राधिकार व श्रवणाधिकार समाअत हासिल है।प्रार्थीगण अन्य सह-खातेदार/काश्तकारों से कोई विवाद नहीं है तथा न ही उनसे कोई इस्तदुआ ही चाही है इसलिए सह-हिस्सेदारान को पक्षकार संयोजित नहीं किया गया है। अतः आवेदन पेश कर अंत में यह इस्तदुआ चाही गई कि आवेदन स्वीकार कर भूमि खसरा नम्बर 1351, 1353 ता 1358, 1701/1344, 1703/1350 कुल किता 9 कुल रकबा 5.2310 हैक्टेयर तथा कृषि भूमिया खसरा नम्बर 1705/1346, 1707/1347, 1709/1348, 1711/1349 कुल किता 4 कुल रकबा 0.6320 हैक्टेयर वाके ग्राम रानौली पटवार हल्का रानौली तहसील दांतारामगढ जिला सीकर के राजस्व रिकार्ड में दर्ज अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 5 का नाम एवं हिस्सा 1/24 हजफ किया जाकर पूर्व राजस्व रिकार्ड के अनुसार खातेदारी हिस्सेदारी दुरूस्त किये जाने आदेश दिया जावे।

उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ़

2 वादपत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 का नाम हजफ करने हेतु वकील प्रार्थी ने हजफ आवेदन पेश किया जो बादसुनवाई कर प्रतिवादी संख्या 1 का नाम हजफ किया गया। प्रतिवादी संख्या 2 ता 6 बावजूद सुचना अनुपस्थित रहने पर इनके विरूद्ध एकपक्षिय कार्यवाही अमल में लाई गयी। तहसीलदार दांतारामगढ सें तथ्यात्मक रिपोर्ट मंगवाई गई। वकील प्रार्थी की बहस एकपक्षीय सुनी गई। बहस के दौरान आवेदन में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए आग्रह किया गया कि राजस्व रिकार्ड में दर्ज अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 5 का नाम एवं हिस्सा 1/24 हजफ किया जाकर पूर्व राजस्व रिकार्ड के अनुसार खातेदारी हिस्सेदारी दुरूस्त किये जाने आदेश दिया जावे।

3 विद्वान अधिवक्ता की बहस पर मनन किया तथा वादपत्र में वर्णित तथ्यों का अवलोकन किया। तहसीलदार दांतारामगढ की रिपोर्ट का अधोपांत अवलोकन किया गया । तहसीलदार रिपोर्ट में अंकन किया गया है कि **ग्राम** ग्राम रानोली के ख.नं. 1351, 1353 से 1358 व 1701/1344, 1703/1350 किता 9 रकबा 5. 2310 व 1705/1347, 1707/1347, 1709/1348, 1711/1349 किता 4 रकबा 0.6320 की खातेदारी लुणकंवर पत्नि रिछपालसिंह, दूलसिंह, विजयसिंह, गजराजसिंह पुत्र रिछपालसिंह, मन्जू कंवर पुत्री रिछपालसिंह जाति राजपूत के नाम जमाबन्दी सम्वत 2076–79 में दर्ज रिकार्ड है। जमाबन्दी सम्वत 2044–47 में जरिये विक्रय पत्र से नामान्तकरण संख्या 861 दिनांक 24.05.1994 रिछपालसिंह पुत्र सुगनसिंह हिस्सा 1/2 के स्थान पर प्रहलाद पुत्र बृजमोहन जाति पुरोहित, भंवरसिंह पुत्र उम्मेदसिंह जाति राजपूत सा. पलसाना, अमरचन्द पुत्र मोहनलाल जाति पारीक सा. चिराना तहसील उदयपुरवाटी हिस्सा 1/24 के नाम स्वीकार हुई। इस प्रकार प्रत्येक का हिस्सा 1/72, 1/72, 1/72 स्वीकार हुआ है। आधार वर्ष की जमाबन्दी में क्रेता व विक्रेता रिछपालसिंह का हिस्सा 1/24 पुन दर्ज कर दिया गया है। जिस कारण से सम्पूर्ण खाते का हिस्सा 1/24 से अधिक हो गया। जिस कारण जमाबन्दी सम्वत् 2065–68 में रिछपालसिंह की गलत खातेदारी के कारण विरासत के नामान्तकरण संख्या 633 दिनांक 05.09.2009 से लुणकंवर पत्नि रिछपालसिंह, दूलसिंह, विजयसिंह, गजराजसिंह पुत्र रिछपालसिंह, मन्जूवर पुत्री रिछपालसिंह जाति राजपूत हिस्सा 1/24 दर्ज हो गया। जमाबन्दी सम्वत् 2044–47 में बेचान के नामान्तकरण संख्या 817 दिनांक 27.01.1992 के द्वारा सुखा पुत्र जीवा हिस्सा 1/12 के स्थान पर गोपाल पुत्र गोविन्दराम जाति अहिर, प्रभुदयाल पुत्र बल्लुराम हिस्सा 1/12 का अंकन हुआ है। जमाबन्दी सम्वत् 2065–68 में बेचान के नामान्तकरण संख्या 613 दिनांक 20.06.2009 बेचान के द्वारा पर गोपाल पुत्र गोविन्दराम जाति

उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ़

अहिर, प्रभुदयाल पुत्र बल्लुराम हिस्सा 1/12 के स्थान पर सरोज देवी पत्नि राजेन्द्र जाति जाट हिस्सा रकबा 0.1124 हैक्टेयर निवासी गोकलपुरा व गोपाल पुत्र गोविन्दराम जाति अहिर, प्रभुदयाल पुत्र बल्लुराम हिस्सा 0.3942 हैक्टेयर दर हिस्सा 1/12 का अंकन स्वीकार हुआ। उपरोक्त जमाबन्दीयो, नामान्तकरणों के अवलोकन के अनुसार पटवारी हल्का रानोली की रिपोर्ट के अनुसार खाते में हिस्सा 1/24 अधिक होने के कारण वर्तमान जमाबन्दी खाता संख्या 354, 355 में लुणकंवर पत्नि रिछपालसिह, दूलसिंह, विजयसिंह, गजराजसिंह पुत्रगण रिछपालसिंह, मन्जूकंवर पुत्री रिछपालसिंह जाति राजपूत हिस्सा 1/24 के बजाय गोपाल पुत्र गोविन्दराम हिस्सा 2957/91200 जाति अहिर प्रभुदयाल पुत्र बल्लुराम हिस्सा 2957/91200 सरोज देवी पत्नि राजेंन्द्र जाति जाट हिस्सा 281/15200 शुद्व किया जाना उचित है शेष खाते का हिस्सा पुर्व की तरह होकर सही है। **प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया गया तथा तहसीलदार रिपोर्ट के आधार पर स्पष्ट है कि प्रार्थीगण का आवेदन रिकार्ड दुरूस्ती स्वीकार योग्य है। प्रार्थीगण का आवेदन रिकार्ड दुरूस्ती स्वीकार किया जाता है तथा भूमि खसरा नम्बर 1351, 1353 ता 1358, 1701/1344, 1703/1350 कुल किता 9 कुल रकबा 5.2310 हैक्टेयर तथा कृर्षि भूमिया खसरा नम्बर 1705/1346, 1707/1347, 1709/1348, 1711/1349 कुल किता 4 कुल रकबा 0.6320 हैक्टेयर वाके ग्राम रानौली पटवार हल्का रानौली तहसील दांतारामगढ जिला सीकर** कें राजस्व रिकार्ड मे दर्ज **अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 5 का नाम एवं हिस्सा 1/24 हजफ किया जाकर पूर्व राजस्व रिकार्ड के अनुसार खातेदारी हिस्सेदारी दुरूस्त कर प्रार्थीगण के पक्ष में किये जाने के आदेश दिये जाते है। शेष जमाबंदी बदस्तूर रहे।** राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद हेतु तहसीलदार दांतारामगढ को तहरीर जारी हो।

यह निर्णय मेरे द्वारा लिखवाया जाकर आज दिनांक 26.07.2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अशोक कुमार)
उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ
उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ